

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

भौमा वगै०



बनाम

बोदूराम वगै०

0 :- 252/2024

10/04/25

की

| नांक आज्ञा कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|----------------------|---|-------------|
| 04.2025 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। शेष अप्रार्थी सं० 1 लगायत 7 अनुपस्थित। इन अप्रार्थीगणों को बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया। लेकिन उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी सं० 1 लगायत 7 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील अप्रार्थी सं० 8 ने आदिनांक तक कोई जवाब पेश नहीं किया। अतः जवाब बन्द किया जाता है। वकील उभय पक्षों की बहस प्रा०पत्र धारा 128 एल०आर०एक्ट पर सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 09.04.2025 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;"> उपरि उक्त अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर</p> | |
| 09.04.2025 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि बिन्दु सं० 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 186 रकबा 1.0100है० वाके ग्राम भावगढ़, पटवार हल्का टोडामीणा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर की चारों तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करने आदेश प्रदान करें।</p> <p>अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार की रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ़ को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की वाके ग्राम भावगढ़, पटवार हल्का टोडामीणा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 186 रकबा 1.0100है० में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार आपत्ति करता है तो उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।</p> <p style="text-align: center;"> उपरि उक्त अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़</p> | |